



रिज
115

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क /रिव्यू/ 2015

रिव्यू 2109-PBR-15

हरज्ञान सिंह पुत्र श्री नोनकरन निवासी
जहाँगीर कटरा मदन कुईया पावर हाउस के
पास ग्वालियर

—प्रार्थी

श्री श्री. रमेश शुभा, कानून
द्वारा आज दि 9-7-15 को
प्रस्तुत

बनाम

का
9 क्लर्क ऑफ़ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

भगवान सिंह आदि

— प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते पुर्नविलोकन विरुद्ध प्र.क. आर-1044 पी बी
आर/2015 मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2015

Amal
2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Rev 2109-PBR / 15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-7-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :-</p> <p>(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या</p> <p>(2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या</p> <p>(3) अन्य कोई पर्याप्त आधार ।</p> <p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष